

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 05-09-2021

थाना कठेला समय माता पुलिस टीम द्वारा 516 ग्राम अवैध चरस (अंतरराष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 05 लाख रु) के साथ 01 नफर तस्क़र को किया गया गिरफ्तार ।

डा0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व मादक पदार्थों के तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व श्री सौदागर राय प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता के नेतृत्व में दिनांक 005.09.2021 को समय 06.05 बजे तेनुआ बंधा के पास से थाना कठेला समय माता की पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को 516 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01- सुखारी उर्फ सोबराती पुत्र मालगोदे अब्दुलरहमान निवासी टेउआ गान्ट टोला मोहम्मदपुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 01-मु0अ0स0114/15 धारा-457,380,411IPC थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-मु0अ0स0 214/15धारा-3(1)यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03-मु0अ0स0161/17धारा-8/21/एनडीपीएस एक्ट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04-05/18धारा-3/25आर्म एक्ट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05-म0अ0स033/19धारा 3/5/25 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06-मु0अ0स0114/20धारा 3/25आर्म्स एक्ट थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण-

516 ग्राम अवैधचरस (अंतरराष्ट्रीय बाजार मेकीमत करीब 05 लाख रु) ।

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2021

थाना जोगिया उदयपुर पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुसरण में और श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री अरुण चंद्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के मार्गदर्शन में तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक जोगिया उदयपुर द्वारा दिनांक 05.09.2021 को हमराह पुलिस बल के सहयोग से मुखविरी सूचना के आधार पर वारंटी अभियुक्त शब्बीर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम करौदा मसिना थाना जोगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने धारा 406,419,420 आईपीसी के अंतर्गत बिना जमानतीय वारंट जारी किया था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अभियुक्त काफी दिन से गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था, परंतु आज मुखबिर सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-05-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 393 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 59 वाहनों का चालान कर ₹ 59,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2021

थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस ने 01 अभियुक्त को 30 शीशी नेपाली कर्नाली नाजायज़ शराब के साथ दबोचा।

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर, के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु, श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2021 को समय करीब 0730 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस व आबकारी टीम के द्वारा पानी टंकी वहद ग्राम से गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त संबंध में थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -

1-ओम प्रकाश यादव पुत्र बरसाती यादव ग्राम महदेवा कुर्मी थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण -

1- 30 शीशी नेपाली कर्नाली शराब नाजायज़।

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2021

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री रमेश चंद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा एवं श्री पंकज कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष थाना मिश्रौलिया के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब निष्कर्षण की रोकथाम हेतु अभियान के अन्तर्गत घटना स्थल बनकटा आज दिनांक 05-09-2021 को एक अभियुक्त से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जो अवैध तरीके से शराब को बेचने हेतु ले जा रहे थे। गिरफ्तारी एवं बरामदगी पर थाना मिश्रौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 126/21 धारा 60 (1)/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

नाम पता अभियुक्त :- राजकुमार पुत्र छेदी साकिन जोकईला थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

विवरण बरामदगी:-

1- 40 लीटर अवैध कच्ची शराब।

2- एक अदद hero Hf deluxe मोटरसाइकिल नं0 यू0पी0 55 AC 2933।

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2021

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की कार्यवाही में 02 शोहदे धरे गये।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 05.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 02 शोहदे पकड़े गये। पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2021

थाना कपिलवस्तु पुलिस व आबकारी टीम ने 01 अभियुक्त को 40 शीशी देशी नाजायज़ शराब के साथ दबोचा।

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व रोकथाम तस्करी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर, के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु, श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दि. 5.9.2021 को समय करीब 17:30 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा मटेहना मोड़ वहद ग्राम मटियरिया से नाजायज़ 40 शीशी देशी शराब (बंटी बबली शराब) के साथ गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 80/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -

01-मनीश कुमार जायसवाल पुत्र विनोद चन्द ग्राम बर्डपुर न. 09 टोला तिलकपुर थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उपनिरीक्षक राम करन निषाद, थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. हे. का. विनोद चौधरी थाना कोतवाली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
- 3- श्री मुकेश कुमार शर्मा, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र प्रथम सिद्धार्थनगर।
- 4- निरीक्षक अजय कुमार, आबकारी, सिद्धार्थनगर।
- 4 -का. राजू कुमार आबकारी क्षेत्र प्रथम सिद्धार्थनगर।

सराहनीय कार्य दिनांक 05.09.2021

आज दिनांक 05-09-2021 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 03 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 05-09-2021 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में कुल 05 पत्रावलियां विचारार्थ प्रस्तुत हुई । जिसमें से 04 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुये । परामर्शन के बाद 03 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ । 03 परिवारों को बिखरे से बचाने में श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना, महिला मुख्य आरक्षी श्रीमती मीरा चौहान, मुख्य आरक्षी श्रीमती सविता सिंह, मुख्य आरक्षी श्रीमती सवित्री तिवारी, महिला आरक्षी प्रतिमा सिंह, महिला आरक्षी निधि सिंह, महिला आरक्षी सुषमा रावत व महिला आरक्षी नेहा सिंह तथा काउन्सलर श्री समशुलहक का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

